न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 173/2014

वादीगण :-	बनाम	प्रतिवादीगण :-
1. गिरधारीलाल पुत्र पूनाराम माली 2. तेजाराम पुत्र हापूराम जाट निवासीगण-निम्बोल, तह.-जैतारण, जिला-पाली (राज.)		1. भंवरलाल पुत्र रामसुख 2. सुखडीदेवी पत्नि भंवरलाल 3. राहूल पूत्र भंवरलाल 4. मल्लाराम पुत्र भंवरलाल 5. ओगड़राम पुत्र भंवरलाल जातियान - बावरी, निवासीगण-सिणला तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.13.08.2014

उपस्थितः- 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 10/07/2015

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि वादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन राजस्व मौजा सिणला पटवार हल्का डिगरना तहसील जैतारण में स्थित हैं जिसके खसरा नम्बर 529/8 रकबा 10-00 बीघा व खसरा नम्बर 529/05 रकबा 10-00 बीघा कुल खसरा-02 कुल रकबा 20 बीघा किस्म बासनी अव्वल की आई हुई है। जिसके वादीगण रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है। नकल चालू जमाबंदी व नक्शा ट्रेश इस वादपत्र के साथ पेश है। इस भूमि को वादपत्र में आगे विवादित भूमि के नाम से जाना जायेगा। वादीगण की इस खातेदारी जमीन के खसरा नम्बर 529/8 रकबा 10 बीघा व खसरा नम्बर 529/5 रकबा 10 बीघा के बीचों बीच मौके पर वर्तमान में सिणला से मुरकासनी जाने वाला रास्ता पक्का जैर निर्माण के है उक्त रास्ता मैसर्स सिद्धि विनायक सिमेंट प्राईवेट लिमिटेड द्वारा बनावाया जा रहा है। उक्त रास्ता मौके पर निर्माणाधीन होने से वादीगण की इस जमीन की उपयोगिता बढ गई है, तब जमीन उपयोगी हो जाने की वजह से अब प्रतिवादीगण की नियत खराब हो रही है वह बिना किसी हक अधिकार के विधिक प्रावधानों से परे जाकर लाठी लकड़ी के बल पर वादीगण की इस कृषि भूमि खसरा नम्बर 529/8 की भूमि पर वर्तमान में बतौर अतिक्रमी के काबिज होकर के अनाधिकृत रूप से अपना झौंपड़ा व रहवास बनाने व पक्का निर्माण करने को अमादा है,वादीगण दोनो ही सरहद निम्बोल में अपने कृषि कूंओ पर रहते हैं, वादीगण के अन्यत्र रहने की वजह से प्रतिवादीगण पीछे खुली पड़ी जमीन पर बतौर अतिक्रमी के कब्जा जमाना चाह रहे है एवं इसी नियत से दिनांक 30.07.2014 को प्रतिवादीगण ने खसरा नम्बर 529/8 रकबा 10 बीघा की जमीन के मौके पर आकर पक्का निर्माण कार्य शुरू कराया। तब दिनांक 04.08.2014 को वादीगण को इस बाबत पता चलने पर वादीगण मौके पर गए एवं प्रतिवादीगण को इस बाबत पता चलने पर वादीगण मौके पर गए एंव प्रतिवादीगण से समझाईश की

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

एंव प्रतिवादीगण को बताया कि उक्त खेत वादीगण का ही है एवं आप लोगों का यहां पर कोई हक व अधिकार नही है। जिस पर प्रतिवादीगण ने वादीगण के साथ मौके पर लड़ाई झगड़ा व विवाद किया एवं जबरदस्ती मौके पर निर्माण कार्य जारी रखे हुए है। प्रतिवादीगण वादीगण की इस वादग्रस्त जमीन पर बतौर अतिकमी के कब्जा करने एवं विवाद बढ़ाने की नियत से व जमीन हड़पने की नियत से वादीगण को अनुसूचित जाति जनजाति के झूठे प्रकरण में फंसाने की एलानिया धमकियां भी दे रहे है। तथा मौके पर खुन खचर करने को आमादा है। यदि प्रतिवादीगण ऐसा दुष्कृत्य करने में सफल हो गये तो वादीगण को असीम क्षति होगी जिस क्षति का मूल्यांकन मुद्रा में नही आंका जा सकता है।इस वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण हमेशा हमेशा के लिए अपना कब्जा जमा लेंगे जिससे वादीगणा को होने वाली परेशानी का आंकलन नही किया जा सकता है। वादीगण प्रतिवादीगण के ऐसी अवैधानिक कार्यवाही का विरोध करेंगे जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। तब इन तमाम परिस्थितियों में वादीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वाद पत्र बावत स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। बिनाय वाद दिनांक 30/07/2014 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की इस विवादित आराजी पर आकर वादीगण की कृषि भूमि पर कच्चा पक्का निर्माण कार्य करने व वादीगण को इस भूमि से बेदखल करने की एलानिया धमकी देने पर बमुकाम सिणला तहसील जैतारण में पैदा हुआ है जो अन्दर म्याद व श्रीमान क्षेत्राधिकार व श्रवणधिकार में हैं।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद तामिल के उपस्थित नहीं आने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 01/04/2015 को की गई। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत मु0-डिगरना में पेश हुई। चूँकि वादीगण राजस्व अभिलेख के खातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादीगण इनकी खातेदारी भूमि में दखलन्दाजी करने तथा पक्का निर्माण करना चाहते हैं। अतः प्रतिवादी को ऐसा करने से रोका जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा-सिणला, पटवार हल्का-डिगरना, तहसील-जैतारण में स्थित भूमि खसरा नम्बर 529/8 रकबा 10-00 बीघा व खसरा नम्बर 529/05 रकबा 10-00 बीघा कुल खसरा-02 कुल रकबा 20 बीघा किस्म बारानी अव्वल पर वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 10/07/2015 को राजस्व लोक अदालत आयोजित शिविर -डिगरना में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकाम– जैतारण

बईजलास :– श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

वादीगण :–	बनाम	प्रतिवादीगण :–
1. गिरधारीलाल पुत्र पूनाराम माली		1. भंवरलाल पुत्र रामसुख
2. तेजाराम पुत्र हापूराम जाट		2. सुखडीदेवी पत्नि भंवरलाल
निवासीगण–निम्बोल, तह.–जैतारण,		3. राहुल पुत्र भंवरलाल
जिला–पाली (राज.)		4. मल्लाराम पुत्र भंवरलाल
		5. ओगड़राम पुत्र भंवरलाल
		जातियान – बावरी,
		निवासीगण–रिणला
		तहसील–जैतारण, जिला–पाली

<u>राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा</u> मु0न0 :रा0वा0 स0: 173/2014
<u>अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान</u>
<u>काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कताई रूबरू ....–....... व हाजरी श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्दई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा–रिणला, पटवार हल्का–डिगरना, तहसील–जैतारण में स्थित भूमि खसरा नम्बर 529/8 रकबा 10–00 बीघा व खसरा नम्बर 529/05 रकबा 10–00 बीघा कुल खसरा–02 कुल रकबा 20 बीघा किस्म बारानी अव्वल पर वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 10/07/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02 - 00	स्टाम्प वकालतनामा	01 – 00
स्टाम्प वकालतनामा	01 – 00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	– –	महनताना वकील	
महनताना वकील	– –	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	03 – 00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा		मुत्फरिक	
मिजानः–	06 – 00	मिजानः–	01 – 00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner